



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे भर्ती बोर्ड/ RAILWAY RECRUITMENT BOARDS



केन्द्रीय रोज़गार अधिसूचना (के.रो.अधि.) सं.02/2026- तकनीशियनों की भर्ती

CENTRALISED EMPLOYMENT NOTIFICATION (CEN) NO.02/2026 - Recruitment of Technicians

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

प्रश्न 1.	के.रो.अधि. 02/2026 के लिए आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है?
उत्तर:	आवेदन की प्रारंभिक तिथि 30-06-2026 है।
प्रश्न 2.	के.रो.अधि. 02/2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर:	ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29-07-2026 (23:59 बजे तक) है।
प्रश्न 3.	जमा किए गए आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर:	जमा किए गए आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 31-07-2026 (23:59 बजे तक) है।
प्रश्न 4.	आवेदन में संशोधन करने की तिथियाँ क्या हैं?
उत्तर:	संशोधन विंडो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद खुलेगी और 01-08-2026 से 10-08-2026 तक सक्रिय रहेगी। "खाता बनाएं" (Create an Account) फॉर्म में भरी गई जानकारी (ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) तथा चयनित रेल भर्ती बोर्ड बदला नहीं जा सकता। यदि अभ्यर्थी किसी अन्य विवरण में संशोधन, परिवर्तन या सुधार करना चाहते हैं, तो वे प्रत्येक अवसर पर ₹250/- (नॉन रिफंडेबल) संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकते हैं।
प्रश्न 5.	क्या पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं?
उत्तर:	पीडब्ल्यूबीडी के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता पोस्ट पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) के "बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए उपयुक्तता" कॉलम में प्रत्येक पद के सामने दर्शाई गई है। उप-विकलांगता का विवरण पोस्ट पैरामीटर्स तालिका (अनुलग्नक-ए) में उपलब्ध है।
प्रश्न 6.	आवेदन करने के लिए आयु सीमा क्या है?
उत्तर:	आयु सीमा मानदंड के लिए कृपया विस्तृत के.रो.अधि के पैरा 8.0, 8.1 एवं 8.2 देखें।
प्रश्न 7.	आयु की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि क्या है?

उत्तर:	आयु की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि 01-07-2026 है। अधिक जानकारी के लिए विस्तृत के.रो.अधि.के पैरा 8.0, 8.1 एवं 8.2 देखें।
प्रश्न 8.	तकनीशियन ग्रेड-III के विभिन्न पदों के लिए पद मानदंड (शैक्षणिक योग्यता, चिकित्सा मानक एवं पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्तता) क्या हैं?
उत्तर:	पद मानदंडों के लिए कृपया विस्तृत के.रो.अधि.के अनुलग्नक-ए का संदर्भ लें जहाँ विस्तृत जानकारी दर्शाई गई है।
प्रश्न 9(i).	मेरा अंतिम परिणाम (Final Results) 29/07/2026 के बाद अपेक्षित हैं। क्या मैं आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर:	नहीं। जिन अभ्यर्थियों के निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (29/07/2026) तक घोषित नहीं हुए हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। अभ्यर्थियों के पास इस के.रो.अधि. के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि या अंतिम तिथि से पहले निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है।
प्रश्न 9(ii).	शैक्षणिक योग्यता के लिए महत्वपूर्ण तिथि क्या है? जिन अभ्यर्थियों का परिणाम 29/07/2026 के बाद आने वाला है, क्या वे आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर:	अभ्यर्थियों के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 29/07/2026 तक निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता होना अनिवार्य है। निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
प्रश्न 10	आवेदन कैसे करें?
उत्तर:	आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया के.रो.अधि. के पैरा 17.1 से 17.5.2 देखें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थियों को विस्तृत के.रो.अधि. में दिए गए सभी निर्देशों एवं सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
प्रश्न 11.	'अकाउंट बनाने (Create an Account)' के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं?
उत्तर:	भर्ती प्रक्रिया की पूरी अवधि के दौरान संचार हेतु अभ्यर्थियों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर एवं वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी होना आवश्यक है, क्योंकि सूचनाएँ एस एम एस (SMS) और/या ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएँगी।
प्रश्न 12.	क्या अकाउंट बनाने और आवेदन भरने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर:	हाँ, वेब ब्राउज़र का उपयोग करके स्मार्ट मोबाइल फोन से आवेदन भरा जा सकता है।
प्रश्न 13.	मैंने रेलवे की पिछली के.रो.अधि. के लिए पहले से अकाउंट बनाया हुआ है। क्या मुझे CEN 02/2026 के

	लिए नया अकाउंट बनाना होगा?
उत्तर:	यदि अभ्यर्थी ने 2024/2025/2026 में अधिसूचित किसी के.रो.अधि.के लिए पहले से अकाउंट बनाया है, तो उसे उसी अकाउंट का उपयोग करके इस के.रो.अधि. (02/2026) के लिए भी आवेदन करना चाहिए।
प्रश्न 14.	'अकाउंट बनाने (Create an Account)' की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:	यदि किसी अभ्यर्थी ने अभी तक रे.भ.बो.आवेदन पोर्टल पर अकाउंट नहीं बनाया है, तो उसे आवेदन भरने से पहले अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आवेदन लिंक के होम पेज पर "एप्लाइ" (Apply) टैब पर क्लिक करें और "Create an Account" चुनें। ऑनलाइन फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, अंक एवं विशेष चिन्हों का संयोजन होना चाहिए। अकाउंट सफलतापूर्वक बनने पर अभ्यर्थी को एस एम एस (SMS) एवं ई-मेल द्वारा पुष्टि संदेश (कन्फर्मेशन मेल) भेजा जाएगा।
प्रश्न 15.	क्या मैं 'Create an Account' में भरी गई जानकारी को संपादित कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर:	अकाउंट बन जाने के बाद 'Create an Account' फॉर्म में भरी गई जानकारी को किसी भी चरण में संशोधित नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 16.	यदि मैं अपने अकाउंट में साइन करने का पासवर्ड भूल जाऊँ तो क्या करूँ?
उत्तर:	लॉगिन पेज पर "Sign into Your Account" अनुभाग में "Forgot Password" विकल्प पर क्लिक करें। आधार संख्या अथवा पंजीकृत ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि दर्ज करें। संशोधित पासवर्ड केवल पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थी को उसी नए पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
प्रश्न 17.	लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:	आवेदन लिंक के होम पेज पर जाएँ। "Apply" टैब के अंतर्गत ड्रॉपडाउन मेनू से "Already have an account" चुनें। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें।
प्रश्न 18.	लॉगिन करने के बाद अगली प्रक्रिया क्या है?

<p>उत्तर:</p>	<p>ऑनलाइन जमा करने के लिए आवेदन पाँच मुख्य भागों में विभाजित है: व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षणिक योग्यता, प्रोफ़ाइल दस्तावेज़ अपलोड करना, पूर्वावलोकन, वरीयता एवं जमा करना (Preview, Preference & Submit)। सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण से प्रारंभ करते हुए विवरण भरें। व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद उसे सेव (Save) करें और उसके बाद अगले अनुभाग में आगे बढ़ें। इसी प्रकार क्रमवार सभी अनुभागों को पूरा करते हुए अंतिम अनुभाग अर्थात् "Preview and Preference & Submit" तक पहुँचें, जहाँ अभ्यर्थी अंततः ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता/सकती है तथा शुल्क भुगतान कर सकता/सकती है।</p> <p>शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, अभ्यर्थी को रे.भ.बो.की ओर से ई-मेल एवं एस एम एस के माध्यम से सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी। इसके बाद अभ्यर्थी पंजीकरण संख्या सहित जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकता/सकती है।</p> <p>नोट: जो अभ्यर्थी पहले से ही 2024/2025/2026 की रे.भ.बो.अधिसूचनाओं के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि इस के.रो.अधि.के लिए आवेदन करते समय व्यक्तिगत विवरण (Personal Details), अन्य विवरण (Other Details), शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) तथा अपलोड प्रोफ़ाइल दस्तावेज़ (फ़ोटो और हस्ताक्षर) (Upload Profile Documents) अनुभागों में उनके पूर्व सहेजे गए (Save किए गए) विवरण की सावधानीपूर्वक जाँच करें और उसकी सत्यता सुनिश्चित करें। इसके बाद ही आवेदन को भुगतान हेतु आगे बढ़ाएँ। 'Create an Account' फॉर्म में भरी गई जानकारी (चयनित रे.भ.बो. सहित) में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता।</p>
<p>प्रश्न 19.</p>	<p>यदि मैंने अपना नाम बदल लिया है, तो मुझे कौन-सा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा?</p>
<p>उत्तर:</p>	<p>आवेदक के पास नाम परिवर्तन से संबंधित राजपत्र अधिसूचना या अन्य वैध कानूनी दस्तावेज़ होना चाहिए, जिसे सीबीटी एवं दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय जमा करना होगा। नाम में परिवर्तन की तिथि या उसके लिए आवेदन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए। अभ्यर्थी को 'Create an Account' के दौरान मूल नाम एवं परिवर्तित नाम दोनों दर्ज करने होंगे। ऐसे मामलों में दोनों नाम आवेदन में प्रदर्शित होंगे।</p>
<p>प्रश्न 20.</p>	<p>डिजीलॉकर/आधार सत्यापन की आवश्यकता क्यों है?</p>
<p>उत्तर:</p>	<p>डिजीलॉकर/आधार सत्यापन की आवश्यकता भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को अभ्यर्थियों हेतु अधिक सुगम बनाने के लिए आवश्यक है। साथ ही, अभ्यर्थिता की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने तथा सीबीटी के दौरान प्रतिरूपण (Impersonation) को रोकने के लिए भी यह सहायक है। रे.भ.बो. आधार का विवरण किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा और न ही इस के.रो.अधि.के उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए उनका उपयोग करेगा।</p>
<p>प्रश्न 21.</p>	<p>लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है?</p>
<p>उत्तर:</p>	<p>पूर्ण जानकारी हेतु कृपया विस्तृत के.रो.अधि. 02/2026 के पैरा संख्या 17.4 का संदर्भ लें जहाँ जानकारी उपलब्ध है।</p>
<p>प्रश्न 22.</p>	<p>हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है? किस प्रकार के हस्ताक्षर अपलोड किए जाने चाहिए?</p>

उत्तर:	पूर्ण जानकारी हेतु कृपया विस्तृत के.रो.अधि. 02/2026 के पैरा संख्या 17.5.1 का संदर्भ लें जहाँ जानकारी उपलब्ध है।
प्रश्न 23.	क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरणों में बदलाव कर सकता हूँ?
उत्तर:	हाँ। आवेदन प्रक्रिया के दौरान 'Create an Account' के विवरणों को छोड़कर अन्य विवरणों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह संशोधन केवल आवेदन जमा करने से पहले और पंजीकरण संख्या मिलने के पहले तक ही संभव है।
प्रश्न 24.	क्या मैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद तथा शुल्क भुगतान से पहले अपने आवेदन विवरणों में संपादित कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर:	<ul style="list-style-type: none"> • नहीं, आवेदन जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपने विवरणों में संशोधन नहीं कर सकते। • अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे "Preference and Preview & Submit" पृष्ठ पर आवेदन पूर्वावलोकन (Preview) में भरे गए सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। यदि सभी जानकारी सही है, तभी आवेदन जमा करें, क्योंकि भुगतान हेतु आवेदन जमा करने के बाद किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यदि आवेदन पूर्वावलोकन (Preview) में कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो अभ्यर्थी "Edit" बटन पर क्लिक करके संबंधित पृष्ठ पर जाकर सुधार कर सकते हैं। सुधार के बाद पुनः आवेदन का पूर्वावलोकन देखें और सही पाए जाने पर आवेदन जमा करें। • आवेदन जमा करने के बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर भुगतान प्रक्रिया पूर्ण करें। यदि कोई अभ्यर्थी 'Create an Account' फॉर्म में भरी गई जानकारी को छोड़कर किसी अन्य विवरण में संशोधन, परिवर्तन या सुधार करना चाहता है, तो वह 01-08-2026 से 10-08-2026 तक उपलब्ध संशोधन विंडो के दौरान प्रत्येक अवसर पर रु. 250/- (नॉन रिफंडेबल) संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है।
प्रश्न 25.	मैं शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर:	शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई सेवाएँ द्वारा किया जा सकता है। सभी लागू सेवा शुल्क अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त स्वयं वहन करने होंगे। भुगतान करते समय भुगतान माध्यम की प्रमाणिकता तथा इस के.रो.अधि.के लिए ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि एवं समय का विशेष ध्यान रखें।
प्रश्न 26.	मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंतिम रूप से जमा हो गया है और मैं उसका प्रिंटआउट ले सकता/सकती हूँ?
उत्तर:	ऑनलाइन आवेदन की अस्थायी स्वीकृति (Provisional Acceptance) केवल सफल शुल्क भुगतान की आर आर बी द्वारा पुष्टि के बाद ही होगी। सफल भुगतान होने पर आवेदक को ई-मेल एवं एस एम एस (SMS) के माध्यम से पुष्टि संदेश (confirmation) प्राप्त होगा। इसके बाद वह आवेदन का प्रिंटआउट ले सकता/सकती है।

प्रश्न 27.	मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और मेरा ई-कॉल लेटर भी जारी हो गया है। क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में स्वीकार कर लिया गया है?
उत्तर:	भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश केवल अस्थायी होगा, और यह अभ्यर्थी की सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा। केवल ई-कॉल लेटर जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी की पात्रता आर आर बी द्वारा अगले चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है। सीबीटी के समय, अभ्यर्थी के फोटो एवं हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रमाणिकता एवं वास्तविकता की जाँच की जाएगी एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर उन्हें सीबीटी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। प्रमाण पत्रों एवं उपलब्ध कराई गई जानकारी का सत्यापन, दस्तावेज़ सत्यापन/चिकित्सा परीक्षण जैसे आगे के चरणों में किया जाएगा।
प्रश्न 28.	आवेदन अस्वीकृति के संभावित कारण क्या हैं?
उत्तर:	जानकारी के लिए विस्तृत के.रो.अधि. के पैरा 21 का संदर्भ लें।
प्रश्न 29.	यदि मेरी मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज जन्मतिथि आधार या अन्य आईडी से अलग है, तो मुझे कौन-सी जन्मतिथि आवेदन में दर्ज करनी चाहिए?
उत्तर:	आवेदन जमा करने से पहले आधार या अन्य आईडी में दर्ज जन्म तिथि को सही कराना आवश्यक है तथापि आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार ही जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।
प्रश्न 30.	मैंने आवेदन में अपनी जाति/समुदाय गलत भर दिया है। क्या मैं आवेदन जमा करने के बाद इसे बदल सकता हूँ?
उत्तर:	हाँ, संशोधन विंडो के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान करके यह विवरण संपादित किया जा सकता है। लेकिन संशोधन विंडो बन्द होने के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं है। दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आपको ऑनलाइन आवेदन के अनुसार सामुदायिक(Community) /जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
प्रश्न 31.	मैं अपना जाति प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ।
उत्तर:	कृपया सुनिश्चित करें कि स्कैन किया गया दस्तावेज़ पीडीएफ प्रारूप में (अधिकतम 400 KB) हो। पूर्ण जानकारी हेतु कृपया विस्तृत के.रो.अधि. के पैरा 17.5.2 का संदर्भ लें।
प्रश्न 32.	क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूँ?
उत्तर:	हाँ। उम्मीदवारों को पहले अपने पुराने पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना चाहिए। लॉगिन करने के बाद, वे ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ऊपरी दाएँ कोने में उपलब्ध "पासवर्ड बदलें (Change Password)" विकल्प का उपयोग करके अपना पुराना पासवर्ड बदल सकते हैं।
प्रश्न 33.	क्या मैं चुना हुआ रे.भ.बो. बदल सकता हूँ?

उत्तर:	नहीं, आवेदन जमा करने के बाद आप "चयनित रे.भ.बो. " (Chosen RRB) को बदल नहीं सकते ।
प्रश्न 34.	आवेदन में शैक्षणिक योग्यता पृष्ठ पर केवल मैट्रिकुलेशन दिखाई दे रहा है। मैं अपनी अन्य शैक्षणिक योग्यताएँ कैसे जोड़ूँ?
उत्तर:	"Add" बटन पर क्लिक करें, योग्यता विवरण भरें और पुनः "Add" पर क्लिक करें।
प्रश्न 35.	यदि मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में केवल उत्तीर्ण होने का माह और वर्ष ही उल्लेखित है, तो आवेदन में मुझे कौन-सी तिथि दर्ज करनी चाहिए?
उत्तर:	यदि 10वीं के प्रमाण-पत्र में तिथि उपलब्ध नहीं है, तो प्रमाण-पत्र में उल्लिखित माह की अंतिम तिथि दर्ज करें। उदाहरण के लिए, यदि प्रमाण-पत्र में अप्रैल 2025 लिखा है, तो आवेदन में 30-04-2025 दर्ज किया जाना चाहिए।
प्रश्न 36	कुल कितने और कौन-कौन से दस्तावेज़ अपलोड करने हैं?
उत्तर:	उम्मीदवारों द्वारा के.रो.अधि. में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़:- (i) उम्मीदवार के हस्ताक्षर (Candidate Signature) को JPG/JPEG प्रारूप में और के.रो.अधि.में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार (ii) जाति प्रमाण पत्र (iii) लाइव फोटो का मिलान न होने पर अनुलग्नक- VII
प्रश्न 37.	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों का आकार क्या होना चाहिए?
उत्तर:	पूर्ण जानकारी के लिए कृपया विस्तृत के.रो.अधि.के पैराग्राफ 17.5.1 और 17.5.2 का संदर्भ लें जिसमें जानकारी दी गयी है ।
प्रश्न 38.	क्या एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक रे.भ.बो. में आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर:	नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक रे.भ.बो. में आवेदन करने पर उस वेतन स्तर के सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे तथा उम्मीदवार को आरआरबी और आरआरसी की सभी भविष्य की परीक्षाओं से वंचित (डीबार) कर दिया जाएगा।
प्रश्न 39.	क्या तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल और ग्रेड III के लिए एक ही आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर:	नहीं। तकनीशियन ग्रेड-I सिग्नल (वेतन स्तर-5) और तकनीशियन ग्रेड-III (वेतन स्तर-2) अलग-अलग वेतन स्तरों से संबंधित हैं। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करना आवश्यक है।
प्रश्न 40.	क्या मैं विभिन्न वेतन स्तरों के लिए अलग-अलग रे.भ.बो. में आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर:	हाँ। यदि उम्मीदवार पात्र हैं, तो वे अपने चयन के किसी एक रे.भ.बो.में लेवल-5 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार, यदि उम्मीदवार लेवल-2 पदों के लिए पात्र हैं, तो वे उसी या किसी अन्य रे.भ.बो. में लेवल-2 पदों के लिए अलग आवेदन जमा कर सकते हैं। किंतु, एक वेतन स्तर के लिए उम्मीदवार द्वारा केवल एक ही आवेदन जमा किया जाना चाहिए, जिसमें उस वेतन स्तर के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित पद/पदों के लिए, जिनके लिए उम्मीदवार पात्र और इच्छुक है, अपनी वरीयता/ प्राथमिकता का क्रम दर्शाएँ।
प्रश्न 41.	मेरे पास 10+2 (भौतिकी और गणित सहित) तथा निर्धारित ट्रेडों में आईटीआई दोनों योग्यताएँ हैं। क्या मैं तकनीशियन ग्रेड-III पदों के लिए दो अलग-अलग आवेदन जमा कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर:	नहीं। उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में एक ही वेतन स्तर के लिए दो आवेदन जमा नहीं करने चाहिए। उम्मीदवारों को किसी एक रे.भ.बो. में तकनीशियन ग्रेड-III के पदों के लिए केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना चाहिए, जिसमें 10+2 तथा आईटीआई दोनों योग्यताओं का विवरण दिया गया हो। इससे उन्हें चयनित रे.भ.बो. में 10+2 और आईटीआई दोनों के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र पद विकल्प प्राप्त हो सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चयनित रे.भ.बो. में जितने भी पदों के लिए पात्र हैं, उन सभी के लिए अपनी वरीयता/ प्राथमिकता का क्रम अवश्य दर्शाएँ। एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक रे.भ.बो. में आवेदन करने पर, उस वेतन स्तर के सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे तथा उम्मीदवार को आरआरबी और आरआरसी की सभी भविष्य की परीक्षाओं से वंचित (डीबार) कर दिया जाएगा।
प्रश्न 42.	मैं LASIK सर्जरी करा चुका/चुकी हूँ। क्या मैं आवेदन हेतु पात्र हूँ?
उत्तर:	नहीं, LASIK सर्जरी करा चुके अभ्यर्थी चिकित्सा मानक A3 के पदों के लिए पात्र नहीं है। कृपया विस्तृत के.रो.अधि के पैरा 6.2 (नोट बी) का सन्दर्भ देखें।
प्रश्न 43.	दस्तावेज़ सत्यापन के समय एनओसी किसे जमा करना चाहिए ?
उत्तर:	किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार विभाग (रेलवे सहित) या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत (जिसमें इंडक्शन प्रशिक्षण/परिवीक्षा पर कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं) उम्मीदवार सीधे रे.भ.बो. में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे अपने नियोक्ता को इसकी सूचना दें। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) की तिथि पर अपने नियोक्ता (employer) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह पूरी तरह उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज़ सत्यापन/पैनल निर्माण/नियुक्ति के समय अपने वर्तमान नियोक्ता से एनओसी जमा करे। ऐसा न करने पर उसकी उम्मीदवारी/एम्प्लॉयमेंट/नियुक्ति अस्वीकृत और रद्द कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना के पैराग्राफ 15.0 का संदर्भ लें।
प्रश्न 44.	आवेदन जमा करने के बाद मैं केंद्रीय/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत हो गया/गई हूँ। क्या मुझे दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय एनओसी जमा करना होगा?

उत्तर:	हाँ । यदि आपने आवेदन जमा करने के बाद किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सेवा जॉइन कर ली है, तो भी आपको दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर आपकी उम्मीदवारी/एम्प्लॉयमेंट रद्द कर दिया जाएगा।
प्रश्न 45.	पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण-पत्र हेतु निर्णायक तिथि ?
उत्तर:	पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 29.07.2026 को या उससे पहले का जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
प्रश्न 46.	मैं एक पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हूँ, क्या मुझे सीबीटी के लिए स्क्राइब (लेखक) का उपयोग करना चाहिए?
उत्तर:	जानकारी के लिए कृपया विस्तृत के.रो.अधि.के पैराग्राफ 14.0 से 14.7 का संदर्भ लें ।
प्रश्न 47.	सीबीटी में पात्र उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब (लेखक) की सुविधा कैसे प्राप्त करें?
उत्तर:	जानकारी के लिए कृपया विस्तृत के.रो.अधि. के पैराग्राफ 14.7.8 से 14.7.11 का संदर्भ लें।
प्रश्न 48.	स्क्राइब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है ?
उत्तर:	जानकारी के लिए कृपया विस्तृत CEN-02/2026 के पैराग्राफ 14.7.8 का संदर्भ लें ।
प्रश्न 49.	क्या सीसीए (कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस) के लिए आरक्षण है?
उत्तर:	सीसीए अभ्यर्थी केवल लेवल-2 पदों के लिए आयु में छूट हेतु पात्र हैं। विस्तृत के.रो.अधि. के पैराग्राफ 8.1 (तालिका 2) का संदर्भ लें।
प्रश्न 50	क्या राज्य सूची में शामिल ओबीसी उम्मीदवार, ओबीसी -एनसीएल आरक्षण के पात्र हैं?
उत्तर:	जो ओबीसी राज्य सूची में शामिल हैं, लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं ("http://www.ncbc.nic.in" में दी गई नवीनतम सूची के अनुसार), वे आरक्षण का दावा करने के पात्र नहीं हैं ।
प्रश्न 51	ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए क्या मानदंड हैं ?
उत्तर:	पूर्ण जानकारी के लिए विस्तृत के.रो.अधि.के पैरा 11.13 को देखें।
प्रश्न 52.	एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी का दावा करने के लिए निर्णायक तिथि क्या है?

<p>उत्तर:</p>	<p>इस के.रो.अधि. के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29.07.2026 के अनुसार ही एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल तथा ईडब्ल्यूएस पात्रता के अनुसार आरक्षण एवं उससे संबंधित लाभों के लिए विचार किया जाएगा। इसके पश्चात इस स्थिति में होने वाले किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। पूर्ण जानकारी के लिए विस्तृत के.रो.अधि. के पैरा 11.0 (ऊर्ध्वार आरक्षण) का संदर्भ लें। एससी/ एसटी/ ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस के.रो.अधि. के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास वैध जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो। दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय ऐसे अभ्यर्थियों को अपना मूल जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रारूप में), जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 29.07.2026 को वैध हो, प्रस्तुत करना होगा।</p>
<p>प्रश्न 53.</p>	<p>निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (मुफ्त रेलवे पास) के लिए कौन पात्र हैं?</p>
<p>उत्तर:</p>	<p>एससी एवं एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को (अनुरोध करने पर) निःशुल्क स्लीपर श्रेणी रेलवे पास प्रदान किया जाएगा। यह पास चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, जैसे सीबीटी/दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)/चिकित्सा परीक्षण (जैसा लागू हो), के लिए उनके ई-कॉल लेटर के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण तथा अपलोड किए गए वैध जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की जाएगी। व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ के "Community" अनुभाग में, अभ्यर्थी 'Do you wish to avail free rail travel pass for the exam' के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन मेनू से "हाँ (Yes)" विकल्प चुनकर तथा निकटतम रेलवे स्टेशन ('Nearest Railway Station') का विवरण भरकर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केवल वे अभ्यर्थी जो निःशुल्क रेल यात्रा पास का लाभ लेना चाहते हैं, उनसे अपना जाति प्रमाण-पत्र अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। पूर्ण जानकारी के लिए विस्तृत के.रो.अधि. के पैरा 22.5 का संदर्भ लें।</p>
<p>प्रश्न 54.</p>	<p>मैं निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (मुफ्त रेलवे पास) का लाभ कैसे प्राप्त करूँ?</p>
<p>उत्तर:</p>	<p>ट्रेन में आरक्षण कराते समय तथा यात्रा के दौरान, उम्मीदवार को अपनी पहचान और पात्रता की पुष्टि के लिए मूल एससी/एसटी समुदाय प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारी को सत्यापन हेतु दिखाना होगा। उन्हें ट्रेन में आरक्षण हेतु ई -कॉल लेटर एवं एससी/एसटी प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति टिकट बुकिंग काउंटर पर जमा करनी होगी। एससी/एसटी उम्मीदवारों को यात्रा के दौरान अपने साथ जाति प्रमाण पत्र (मूल प्रति) एवं पहचान पत्र (मूल प्रति) रखना होगा अन्यथा उन्हें बिना टिकट यात्री मानते हुए चार्ज किया जायेगा। यदि इस निःशुल्क यात्रा सुविधा का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, तो उम्मीदवार का आवेदन/उम्मीदवारी चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में रद्द की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उसे भविष्य की परीक्षाओं से वंचित/डीबार भी किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी के लिए विस्तृत के.रो.अधि. के पैरा 22.5 का संदर्भ लें।</p>
<p>प्रश्न 55.</p>	<p>मैं वर्तमान में सशस्त्र बल (Armed Force) में कार्यरत हूँ, क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ ?</p>

उत्तर:	जो सशस्त्र बल (Armed Force) कर्मी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें अनुलग्नक VI(ए) के अनुसार "रोजगार प्रमाण-पत्र के साथ सेवा से संभावित मुक्त होने की तिथि (Probable date of discharge from service) प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र इस के.रो.अधि. के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को मान्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनुलग्नक VI के अनुसार एक स्व-घोषणा/वचन पत्र (Self-declaration of Undertaking) जमा करना आवश्यक होगा, ताकि वे भूतपूर्व सैनिक आरक्षण लाभ का दावा कर सकें। पूर्ण जानकारी के लिए विस्तृत के.रो.अधि. के पैरा 13.3 का संदर्भ लें।
प्रश्न 56.	मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में पहले ही सिविल रोजगार/नौकरी प्राप्त कर चुका हूँ। क्या मैं इस के.रो.अधि. के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक लाभ प्राप्त करने का पात्र हूँ?
उत्तर:	वे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'C' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'D' (जिसमें सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त/वैधानिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि शामिल हैं) में भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाले लाभों का उपयोग करके सिविल नौकरी प्राप्त कर ली है, उन्हें केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों में विचारित नहीं किया जाएगा। पूर्ण जानकारी के लिए विस्तृत के.रो.अधि. के पैरा 13.0 से 13.6 का संदर्भ लें।
प्रश्न 57.	क्या आवेदन शुल्क दोनों आवेदन के लिए समान है?
उत्तर:	नहीं, प्रत्येक वेतनस्तर के लिए लागू शुल्क अलग से जमा करना होगा।
प्रश्न 58.	ईबीसी क्या है?
उत्तर:	ईबीसी का अर्थ 'आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग' है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) वे अभ्यर्थी हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु.50,000 से कम है। अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि 'आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी)' को 'अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)' या 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)' या अति पिछड़ा वर्ग के साथ भ्रमित न करें।
प्रश्न 59.	ईबीसी अभ्यर्थियों को कौन-कौन से लाभ दिए जाते हैं? क्या ईबीसी अभ्यर्थी आरक्षण लाभ के पात्र हैं?
उत्तर:	ईबीसी अभ्यर्थियों को केवल "शुल्क रियायत" प्रदान की जाती है, परंतु वे आरक्षण संबंधी लाभों के पात्र नहीं हैं।
प्रश्न 60.	यदि कोई अभ्यर्थी ईबीसी (EBC) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो क्या होगा?
उत्तर:	यदि किसी अभ्यर्थी ने ईबीसी (EBC) के रूप में शुल्क रियायत का लाभ लिया है, तो उसके पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पूर्व का वैध आय प्रमाण-पत्र (के.रो.अधि. के अनुलग्नक III-ए के अनुसार) अथवा बीपीएल (BPL) कार्ड अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी कोई अन्य प्रमाण-पत्र अथवा रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी (IZZAT MST) होना चाहिए। उक्त दस्तावेज दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। कृपया के.रो.अधि. के पैरा 10.3 का विस्तृत जानकारी हेतु संदर्भ लें।

प्रश्न 61.	अल्पसंख्यकों के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है?
उत्तर:	अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा पारसी (ज़ोरास्ट्रियन) समुदाय शामिल हैं, जिन्हें अभ्यर्थी के संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया हो। यह दर्जा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त किसी भी विलोपन, वर्जन अथवा समावेशन के अधीन होगा। पूर्ण जानकारी हेतु कृपया विस्तृत के.रो.अधि. के पैरा 10.2 का संदर्भ लें।
प्रश्न 62.	अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को कौन-कौन से लाभ दिए जाते हैं? दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो क्या होगा?
उत्तर:	अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को केवल शुल्क में रियायत प्रदान की जाती है किन्तु वे आरक्षण संबंधी लाभों के पात्र नहीं हैं। परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा संबंधी शपथ-पत्र (के.रो.अधि. के अनुलग्नक-IV के अनुसार) जमा करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। पूर्ण जानकारी हेतु कृपया विस्तृत के.रो.अधि. के पैरा 10.2 का संदर्भ लें।
प्रश्न 63.	रिक्तियों का विवरण मुझे कहाँ प्राप्त होगा?
उत्तर:	रेलवे भर्ती बोर्ड वार रिक्तियों का विवरण विस्तृत के.रो.अधि. के अनुलग्नक 'बी' में दिया गया है।
प्रश्न 64.	के.रो.अधि. 02/2026 में कितने वेतन स्तर हैं?
उत्तर:	के.रो.अधि. 02/2026 में दो वेतन स्तर हैं — स्तर-5 एवं स्तर-2
प्रश्न 65.	भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या हैं और उनकी समय-सारिणी (शेड्यूल) की जानकारी मुझे कैसे प्राप्त होगी?
उत्तर:	भर्ती प्रक्रिया में एकल चरण (सिंगल स्टेज) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), दस्तावेज सत्यापन (डीवी) तथा चिकित्सा परीक्षण (एमई) शामिल हैं। सीबीटी की तिथि एवं परीक्षा केंद्र संबंधी जानकारी पात्र अभ्यर्थियों को नियत समय पर संबंधित रेल भर्ती बोर्ड की वेबसाइट, एसएमएस तथा/या ई-मेल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सीबीटी के किसी भी चरण को स्थगित करने अथवा परीक्षा केंद्र, तिथि या पारी में परिवर्तन करने संबंधी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
प्रश्न 66.	सीबीटी का सिलेबस कहाँ मिलेगा?
उत्तर:	सीबीटी के पाठ्यक्रम/सिलेबस की जानकारी हेतु कृपया विस्तृत के.रो.अधि. के पैरा 16.1 (1) एवं 16.1 (2) का संदर्भ लें।
प्रश्न 67.	मुझे अपनी परीक्षा के लिए भाषा का विकल्प कैसे चुनना होगा?

उत्तर:	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फार्म में उपलब्ध 15 भाषाओं की सूची में से किसी एक भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में चुन सकते हैं। सीबीटी के प्रश्न, चुनी गई भाषा तथा अंग्रेज़ी में, प्रदर्शित किए जाएंगे। आवेदन में एक बार भाषा का चयन करने के पश्चात भाषा विकल्प में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रश्न 68.	क्या सीबीटी में नकारात्मक अंकन (नेगटिव मार्किंग) होगा?
उत्तर:	हाँ। सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 (एक-तिहाई) अंक का नकारात्मक अंकन (नेगटिव मार्किंग) होगा।
प्रश्न 69.	परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए कौन पात्र हैं?
उत्तर:	केवल वे अभ्यर्थी जो सीबीटी में सम्मिलित होते हैं, "परीक्षा शुल्क की वापसी" (बैंक शुल्क की कटौती के उपरांत) के पात्र होंगे। कृपया विस्तृत के.रो.अधि. 02/2026 के पैरा 10.4 का संदर्भ लें। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण अथवा अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। नोट- संशोधन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
प्रश्न 70.	शुल्क रियायत के लिए कौन-कौन पात्र हैं?
उत्तर:	अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen), दिव्यांगजन (PwBD), महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) के अभ्यर्थी शुल्क रियायत के पात्र हैं। कृपया के.रो.अधि. के पैरा 10.0 (सारणी की क्र.सं.2) का संदर्भ लें।
प्रश्न 71.	आवेदन पंजीकरण संख्या का क्या उपयोग है ?
उत्तर:	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपने जमा आवेदन की पंजीकरण संख्या को नोट करके रखें तथा याद रखें। पंजीकरण संख्या का उपयोग भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरणों तथा रेल भर्ती बोर्डों के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाएगा। विस्तृत के.रो.अधि. 02/2026 के पैरा 19.2 (d) का संदर्भ लें।
प्रश्न 72.	आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
उत्तर:	अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन : के.रो.अधि. के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न/सहायता के लिए (सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक) । ई-मेल : rrb.help@csc.gov.in फोन : 9592001188 एवं 0172-5653333